

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी—

डॉ. सूरज सिंह नेगी

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

119/2023 प्रा.पत्र/2023

06.11.2023

11.01.2024

सुरेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1—श्री प्रहलाद राय जैन पुत्र श्री मदन लाल जैन निवासी रोडवेज बस स्टैण्ड डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स प्रहलाद राय विमल कुमार जैन पुराना बाजार जैन मन्दिर के पास डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक राज.। पिनकोड—304504

2—मैसर्स प्रहलाद राय विमल कुमार जैन पुराना बाजार जैन मन्दिर के पास डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक राज.। पिनकोड—304504

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (iv), (v) एवं दण्डनीय धारा 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2—अप्रार्थी स्वयं उप.।

:-निर्णय:-

दिनांक 11.01.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.08.2023 को समय 02:30 पीएम पर मैसर्स प्रहलाद राय विमल कुमार जैन पुराना बाजार जैन मन्दिर के पास डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री प्रहलाद राय जैन पुत्र श्री मदन लाल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री श्री प्रहलाद राय जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा विक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु स्टील की एक टंकी में लगाग 10-12 लीटर सरसों तेल (खुला) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री प्रहलाद राय जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री प्रहलाद राय जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह सरसों तेल (खुला) वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 1600 ग्राम खरीदने की कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।



आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा सरसों तेल (खुला) 1600 ग्राम को अलग-अलग चार साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशियों में प्रत्येक शीशी में 400-400 ग्राम भरकर, शिशियों के ढक्कन को नियमानुसार अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3801 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3801 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/947 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./3403/एक्ट/2023/3487 दिनांक 04.09.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया सरसों तेल (खुला) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बधन) नं. 2.3.15(1)(b) अनुसार कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र उक्त तेल को खुले में विक्रय करने के कारण नमूना कॉन्ट्रावेन स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस सरसों तेल (खुला) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं परोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया सरसों तेल (खुला) का नमूना जांच में



कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (iv) व (v) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 8000/- (अक्षरे आठ हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 11.01.2024 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(डॉ. सुरज सिंह नेगी)
न्याय मंत्रालय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0